राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 22/2024 अपील

1. प्यारा पुत्र रूपा बैरवा निवासी केरपुरा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा
2. लादूलाल पुत्र रूपा बैरवा निवासी केरपुरा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा
3. शंकर पुत्र काना गुर्जर निवासी केरपुरा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाडा
4. नोजी पत्नी काना गुर्जर निवासी केरपुरा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाडा

बनाम

1. जगरूप पुत्र कजोड गुर्जर निवासी केरपुरा, माण्डलगढ़ जिला भीलवाडा
2. प्रभुलाल पुत्र शंकरनाथ निवासी रघुनाथपुरा, सराणा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाडा
3. गोपाल पुत्र नाना गुर्जर निवासी दोवनी तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
4. शंकर लाल पुत्र नाना गुर्जर निवासी दोवनी तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा
5. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा

–अपीलार्थी

–रेस्पोडेण्ट

नामान्तकरण संख्या 621 दिनांक 31.01.2013
अपील अन्तर्गत धारा 75 लेन्ड रेवेन्यु एक्ट
विरूद्ध तहसीलदार माण्डलगढ नामान्तरण संख्या 621/31.01.2013

उपस्थित –

1. श्री श्रवण सेन, अपीलाण्ट अधिवक्ता
2. श्री के०सी० काष्ट, रेस्पोन्डेन्ट अधिवक्ता(विपक्षी 02, 03 एवं 04 की ओर से)

निर्णय

दिनांक :– 12/03/2026

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण द्वारा द्वारा एक अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट विरूद्ध रेस्पोन्डेन्ट्स के प्रस्तुत की गई। इस प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गई। जिस अनुसार रेस्पो–5 के समक्ष पटवारी जालिया ने ग्राम केरपुरा में प्रत्यर्थी–1 की आवंटन सुदा भूमि आ0न 11 बीघा में से 2 बीघा का नामान्तरण प्रत्यर्थी 1 के नाम पर खोला गया। जिसे पटवारी ने बिना मौके की स्थिति एवं भौतिक रूप से कब्जे की जांच किए बिना प्रश्नगत नामान्तरण खोल दिया गया। नामान्तकरण संख्या 621 में अलोटमेन्ट से होना अंकित कर, नये नम्बर 578/11 रकबा 02 बीघा कायम कर नामान्तकरण को स्वीकृत कराया है व उक्त आराजी नम्बर 578/11 रकबा 02 बीघा भूमि को राजस्व नक्शे में आराजी नम्बर 11/2 के निचे दक्षिण दिशा में तरमीम किया गया, जो कि पटवारी हल्का जालिया द्वारा दिनांक 28.02.

12.3.26
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

होना अंकित कर, नये नम्बर 578/11 रकबा 02 बीघा कायम कर नामान्तकरण को स्वीकृत कराया है व उक्त आराजी नम्बर 578/11 रकबा 02 बीघा भूमि को राजस्व नक्शे में आराजी नम्बर 11/2 के निचे दक्षिण दिशा में तरमीम किया गया, जो कि पटवारी हल्का जालिया द्वारा दिनांक 28.02. 2014 को जारी किये गये, नक्शे से साबित है, उसके पश्चात् आराजी नम्बर 578/11 को राजस्व नक्शे में आराजी नम्बर 11/2 के निचे तरमीम था वहीं से हटाकर बिना किसी आधार के प्रार्थी संख्या 01 एक व 02 दो की आराजी नम्बर 576/11 एवं प्रार्थी संख्या 03 व 04 की आराजी नम्बर 11/4 के आगे बिलानाम आराजी नम्बर 11 जहाँ पर प्रार्थीगण का वर्षों से अपने पूर्वजो के समय से कब्जा था, वहाँ पर तरमीम कर दिया, जबकि प्रार्थीगण की आराजी के आगे बिलानाम आराजी नम्बर 11 में 02 बीघा भूमि पर प्रार्थी संख्या 01 व 02 का अपने पूर्वजो के समय से ही कब्जा चला आ रहा है, जिससे प्रार्थी संख्या 01 व 02 के विरुद्ध तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के कार्यवाही की जाती है व पेनल्टी की राशी प्रार्थी संख्या 01 व 02 द्वारा जमा कराई जाती है, जिससे यह स्पष्ट साबित है कि आराजी नम्बर 578/11 को जहाँ पर वर्तमान में तरमीम किया है वहीं पर आवंटी का किसी प्रकार का कब्जा नहीं था, गलत आवंटन के आधार पर नामान्तकरण संख्या 621 को स्वीकृत किया है वह निरस्त होने लायक है। विपक्षी संख्या 01 का आराजी नम्बर 11 में से 02 बीघा का भूमि का आवंटन हुआ लेकिन आवंटन के आधार पर आवंटी का कहाँ पर कब्जा था व कहाँ पर कब्जा सिपूर्द किया, स्पष्ट नहीं है, क्योकि आवंटी जगरूप को वर्ष 1992 में आवंटन किया गया, किन्तु आवंटि के नाम राजस्व रेकॉर्ड में वर्ष 2013 में दर्ज की गई, जो कि 21 वर्ष बाद दर्ज की है, आराजी नम्बर 578/11 को राजस्व नक्शे में आराजी नम्बर 11/2 के नीचे तरमीम किया गया किन्तु वर्तमान में आराजी नम्बर 578/11 प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 11/4 एवं 576/11 के आगे तरमीम कर दिया जहाँ पर आवंटी का कभी भी कब्जा नहीं रहा है, बल्कि कब्जा प्रार्थीगण का वर्षों से चला आ रहा है। विपक्षी–1 आवंटी जगरूप का आवंटन कभी कब्जा नहीं रहा है उसके बावजूद आवंटी जगरूप ने अपने नाम पर नही थी, बावजूद इसके जगरूप ने अपने नाम दर्ज आ.न 578/11 जो कि आराजी नम्बर 11/2 के नीचे तरमीम थी उसे राजस्व अनुसार विपक्षी संख्या 2 के विक्रय कर दी है। उसके पश्चात् विपक्षीगण एवं राजस्व कर्मचारियो की मिला भगती से आराजी नम्बर 578/11 जो कि आराजी नम्बर 11/1 के निचे दक्षिण दिशा में तरमीम था वहाँ से हटाकर भीलवाडा माण्डलगढ़ रोड़ के पास और प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 576/11 एवं 11/4 के आगे, जहाँ पर प्रार्थीगण का कब्जा होकर, पत्थरों की दीवार कर रखी है व फसल कास्त करते आ रहे है, वहीं पर तरमीम कर दिया, जहाँ पर आराजी नम्बर 578/11 को तरमीम कर रखा है वहीं पर आवंटि जगरूप ने विपक्षी संख्या 02 दो को किसी प्रकार का कब्जा सिपूर्द नहीं है किया है, जिससे विपक्षी सख्या 02 दो ने प्रार्थीगण के विरुद्ध कब्जा प्राप्त करने हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़ के यहाँ वाद प्रस्तुत किया है जिससे स्पष्ट साबित है, कब्जे के अभाव में गलत आवंटन हुआ है, आंवटि ने आवंटन शर्तों की पालना नहीं की है, गलत आवंटन के आधार पर नामान्तकरण स्वीकृत हुआ है, वह निरस्त होने लायक है। विपक्षी संख्या 01 आवंटी ने आवंटन सुदा भूमि पर कब्जा नहीं होने के बावजूद भी विवादग्रस्त आराजी नम्बर 578/11 को विपक्षी संख्या 02 दो को विक्रय की है, विपक्षी संख्या 02 ने विपक्षी संख्या 03 व 04 को विक्रय की है, विक्रय पत्र के आधार पर विपक्षी संख्या 03 व 04

12.3.26
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

प्रार्थीगण की कब्जे सुदा भूमि से प्रार्थीगण को मौके से बेदखल कर, कब्जा करने के आशय से लड़ाई–झगडा एवं विवाद किया जा रहा है व थाने में भी झुंठी रिपोर्ट दर्ज कराई जा रहा है जिससे थाने वाले भी प्रार्थीगण पर दबाव बना रहे है, विपक्षीगण से मिला भगती कर, कब्जा सिपूर्द नही करने पर थाने में बन्द करने की धमकिया दी जा रहा है, कानून बिना न्यायालय के आदेश के कब्जा नहीं लिया जा सकता है लेकिन विपक्षीगण एवं थाने वाले प्रार्थीगण को नाजायज़ परेशान कर रहे है, जबरन प्रार्थीगण को मौके से बेदखल करना चाह रहे है जिसका उन्हे कोई कानूनन अधिकार नहीं है, विवादग्रस्त भूमि आवंटि को गलत रूप से आवंटन हुआ है, जो निरस्त होने लायक है एवं आवंटन के आधार पर जो नामान्तकरण स्वीकृत हुआ है, वह निरस्त होने लायक है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा विवादित आदेश दिनांक 31.01.2013 को पारित किया गया, जिसकी अपील अन्दर अवधि 30 तीस दिन में प्रस्तुत नही हो पाई क्योकि विवादित आदेश की अपीलार्थीगण को पूर्व में कोई जानकारी नही थी, हाल ही में विपक्षीगण द्वारा प्रार्थीगण के कब्जे में दखलन्दाजी करने पर प्रार्थीगण ने आवंटन पत्रावली प्राप्त करने हेतु उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ के यहाँ सूचना के अधिकार के तहत आवेदन किया, जिसमें उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ द्वारा आवंटन पत्रावली को जिला अभिलेखाघार भीलवाडा में जमा होने की सूचना दी गई, जिला अभिलेखाघार भीलवाड़ा में भी आवंटन पत्रावली प्राप्त करने हेतु आवेदन किया किन्तु जिला अभिलेखाघार भीलवाड़ा में भी आवंटन पत्रावली जमा सूची के अनुसार नही मिल पाने से प्रार्थना पत्र खारीज किया, जिससे प्रार्थीगण ने आवंटन के आधार पर आवंटि के नाम पर खोले गये नामान्तकरण की नकल प्राप्त करने हेतु दिनांक 21.02.2024 को आवेदन किया, नकल दिनांक 23.02.2024 को प्राप्त हुई, नकल प्राप्ति से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की, जिसे मियाद में शुमार फरमाई जाकर, अपील का निस्तारण गुणाव गुण पर किया जावें अन्यथा अपीलार्थीगण न्याय से वंचित हो जाएगें। गलत आवंटन के आधार पर प्रत्यर्थीगण एवं राजस्व कर्मचारियों की आपस में मिला भगती से आवंटित भूमि को बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के, राजस्व नक्शे में अपने मनकसूद तरमीम की है, जिससे इनके विरुद्ध भी कार्यवाही की जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

अतः प्रार्थना है कि अपीलार्थीगण की लिखित बहस रेकॉर्ड पर ली जाकर अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 621 दिनांक 31.03.2013 को निरस्त फरमा, पश्चात्वर्ती नामान्तकरण को निरस्त फरमाया जाकर विवादित आवंटन निरस्त कराया जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किए गए। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

जवाब जरिए प्रत्यर्थी संख्या 2, 3 व 4 द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार माण्डलगढ द्वारा विधि अनुरूप आदेश पारित किया गया है। पटवारी हल्का द्वारा सही तौर पर नामान्तरण भरा था। जिसको कालान्तर में रेस्पो–1 ने रेस्पो–2 को जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र से विक्रय कर दी जो पूर्णरूपेण सही है। उसके बाद रेस्पो–2 ने रेस्पो–3 एवं 3 को विक्रय कर दी है जो कि पूर्णरूपेण सही है। वर्तमान में रेस्पो–3 एवं 4 आराजी नम्बर 578/11 पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। पटवारी हल्का जालिया द्वारा ग्राम केरपुरा, तहसील माण्डलगढ़ जिला

12.3.26
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ (राज.)

भीलवाडा की आराजी नम्बर 11 में से 02 बीघा भूमि का नामान्तरण, नामान्तरण संख्या 621 में अलोटमेन्ट से होना अंकित कर नये नम्बर 578/11 रकबा 02 बीधा कायम कर नामान्तरण को स्वीकृत कराया है जो पूर्णरूपेण सही है। अपीलार्थी का यह कहना गलत है कि उक्त नये नम्बर 578/11 रकबा 02 बीघा भूमि को राजस्व नक्शे में आराजी नम्बर 11/2 के नीचे दक्षिण दिशा में तरमीम किया हो बल्कि पटवारी हल्का द्वारा आराजी नम्बर 578/11 को आराजी नम्बर 11/4 के दक्षिण दिशा की ओर से आराजी नम्बर 537/11 एवं 11/5 से सटते हुए राजस्व नक्शे में तरमीम किया है। अपीलार्थीगण द्वारा इस चरण में आराजी नम्बर 11/2 के नीचे दक्षिण दिशा में आराजी नम्बर 578/11 को तरमीम करने का तथ्य पूर्णरूपेण एवं मिथ्या तौर पर गलत अंकित किया है। पटवारी द्वारा जारी नक्शा दिनांक 28/02/2014 से भी स्पष्ट है कि आराजी नम्बर 578/2011 को आज की वर्तमान स्थिति के मुताबिक ही राजस्व नक्शे में तत्समय इन्द्राज किया था। प्रथम बार आराजी नम्बर 578/11 को राजस्व नक्शे में इन्द्राज करने के पश्चात् आज दिनांक तक उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। अपीलार्थीगण का यह कहना भी गलत है कि आराजी नम्बर 578/11 को राजस्व नक्शे में आराजी नम्बर 11/2 के नीचे से हटाकर अपीलार्थी संख्या 01 व 02 की आराजी नम्बर 576/11 एवं अपीलार्थी संख्या 03 एवं 04 की आराजी नम्बर 11/4 के आगे बिलानाम आराजी नम्बर जहां पर प्रार्थीगण का वर्षों से कब्जा चला आ रहा हो वहां पर तरमीम कर दिया हो। अपीलार्थीगण का यह भी कहना गलत है कि आराजी नम्बर 578/11 के सम्बन्ध में तहसीलदार माण्डलगढ द्वारा अपीलार्थी संख्या 01 व 02 के विरूद्ध राजस्थान भूराजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत कार्यवाही की जाती हो और अपीलार्थी द्वारा पेनेल्टी राशि जमा कराई जाती हो। अपीलार्थी का यह कहना भी गलत है कि आराजी नम्बर 578/11 को जहां पर वर्तमान में तरमीम किया है वहां पर आंवटी का किसी प्रकार का कब्जा नहीं था और गलत तौर पर नामान्तरण संख्या 621 स्वीकृत किया हो। नामान्तरण संख्या 621 किसी प्रकार से निरस्त होने योग्य नहीं हैं क्योकि यह स्पष्ट है कि आराजी नम्बर 578/11 को प्रथमबार वक्त नामान्तरण ही राजस्व नक्शे में आराजी नम्बर 11/4 के नीचे दक्षिण की ओर तथा आराजी नम्बर 537/11 एवं आराजी नम्बर 11/5 के पूर्व दिशा की ओर सटते हुए राजस्व नक्शे में इन्द्राज की है। जिसमें आज दिनांक तक प्रथम इन्द्राज के बाद से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यदि अपीलार्थीगण ने किसी अन्य भूमि पर कब्जा कर रखा है तो अपीलार्थीगण का ऐसा कब्जा नाजायज कब्जा है और अपीलार्थीगण अतिक्रमी की हैसियत रखते है और अपीलार्थीगण को अतिक्रमी की हैसियत से विधि में किसी प्रकार की हक अधिकार स्वामित्व प्राप्त नहीं होते हैं। अपीलार्थीगण ने यह तथ्य गलत अंकित किया है कि आंवटी का कहां पर कब्जा था और कहां पर कब्जा सुपुर्द किया हो यह स्पष्ट नहीं हो। अपीलार्थीगण का यह भी कहना गलत है कि आराजी नम्बर 578/11 को आराजी नम्बर 11/2 के नीचे वर्ष 2013 में तरमीम किया हो और वर्तमान में वहां से हटाकर आराजी नम्बर 11/4 एवं 576/11 के आगे तरमीम कर दिया हो और आंवटी का उस भूमि पर कोई कब्जा नहीं रहा हो। अपीलर्थीगण का यह भी कहना गलत है कि उनका आंवटनशुदा भूमि पर कब्जा है, गलत आंवटन हुआ हो और गलत आवंटन के आधार पर नामान्तरण संख्या 621 स्वीकृत हुआ हो ऐसा नामान्तरण संख्या 621 किसी प्रकार से निरस्त होने योग्य नहीं है। अपीलार्थीगण द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय माण्डलगढ़ के यहां गलत तौर पर वाद प्रस्तुत किया है जो कि निश्चित

12-3-26
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

रूपेण खारिज होने योग्य है। विपक्षी संख्या 01 का आंवटितशुदा भूमि पर कब्जा नहीं रहा हो। अपीलार्थीगण का यह कहना सही है कि आंवटितशुदा भूमि प्रत्यर्थी संख्या 01 द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 02 को और प्रत्यर्थी संख्या 02 द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 03 व 04 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से विक्रय की है जो पूर्णरूपेण वैध है। अपीलार्थीगण का आराजी संख्या 578/11 पर किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं है। स पर वर्तमान में प्रत्यर्थी संख्या 03 व 04 का कब्जा वक्त खरीद से निरन्तर चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण को मौके से बेदखल करने, कब्जा करने के आशय से लडाई झगडा एवं विवाद करने, थाने में झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने, थाने द्वारा अपीलार्थीगण पर दवाब बनाने, विपक्षीगण से मिलाभगतीकर कब्जा सुपुर्द नहीं करने एवं थाने में बंद करने की धमकियां देने के जो तथ्य अंकित किए है वह पूर्णरूपेण मिथ्या भ्रामक एवं गलत होने से अस्वीकार है। आराजी नम्बर 578/11 पर वर्तमान में विपक्षी संख्या 03 व 04 का वैध कब्जा निरन्तर चला आ रहा है। यदि अपीलार्थीगण जबरदस्ती जवाबदाता की भूमि पर अवैधरूप से कब्जा करने का प्रयास करेगे तो उनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो जाता है। अपीलार्थीगण द्वारा नामान्तरण निरस्त कराने की जो दाद चाहिए वह किसी प्रकार से स्वीकार करने योग्य नहीं है। अपीलार्थीगण की अपील समयावधि वर्जित है। अपीलार्थीगण द्वारा उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ जिला भीलवाडा के यहां, जिला अभिलेखागार भीलवाडा में नकल प्राप्ति हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत किया है तो उससे अपीलार्थी को समय सीमा प्राप्त नहीं होती है और अपीलार्थी की अपील स्पष्ट रूप से मियाद वर्जित है जिसका प्रमाण यह है कि स्वयं अपीलार्थीगण अपील के बिन्दु संख्या 03 में पटवारी हल्का जालिया द्वारा दिनांक 28/02/2014 को नक्शा तरमीम करने की एवं जारी करने की बात अंकित कर रहे है। इससे स्पष्ट जाहिर है कि अपीलार्थीगण द्वारा वर्ष 2014 में ही तरमीमशुदा नक्शा प्राप्त कर लिया था और तब से ही अपीलार्थीगण को संपूर्ण तथ्यों की जानकारी है इस कारण अपीलार्थीगण की अपील मियाद अवधि से बाहर होने के कारण प्रथम दृष्टया ही खारिज होने योग्य है। अपीलार्थीगण को धारा 5 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने से मियाद प्राप्त नहीं हो जाती है। अपीलार्थीगण को दिन प्रतिदिन का विलम्ब कारण स्पष्ट करना होगा जो अपीलार्थीगण ने नहीं किया है। अपील की चरण संख्या 08 कानूनी होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है। अपील की चरण संख्या 09 कानूनी होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है। अपीलार्थीगण को अन्य कोई आधार प्राप्त नहीं है। यदि अपीलार्थीगण अन्य कोई आधार बताते है तो उसका समुचित रूप से जवाब प्रस्तुत किया जावेगा। अपीलार्थीगण ने इस चरण में जो अनुतोष चाहा है वह किसी प्रकार से स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। अपीलार्थीगण नामान्तरण संख्या 621 दिनांक 31/03/2013 को निरस्त कराने के अधिकारी नहीं है। अपीलार्थी ने बडी चतुराई से आंवटन दिनांक 01/06/1992 को निरस्त कराने की मांग की है जो कि निरस्त कराने योग्य नहीं है। क्योकि इस सम्बन्ध में आंवटन निरस्तीकरण के सम्बन्ध में पृथक से कोई कार्यवाही नहीं की है और इस अपील के तहत आवंटन को निरस्त नहीं किया जा सकता है। प्रस्तुत मजीद कथन अनुसार प्रत्यर्थी संख्या 01 को जारी आंवटन किसी भी न्यायालय एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा आज दिनांक तक निरस्त नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण की अपील चलने योग्य नहीं रहती है। प्रत्यर्थी संख्या 01 को वर्ष 1992 में आंवटन किया था जिसके करीब 32 वर्षो के पश्चात् अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है जो कि समयावधि वर्जित होने से खारिज

12.3.26
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अपील के बिन्दु संख्या 05 में विपक्षी संख्या 02 द्वारा वाद प्रस्तुत करना कहा है जिससे भी स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण को समस्त तथ्यों की जानकारी पूर्व से ही थी। जिससे भी अपीलार्थी की यह अपील मियाद अवधि वर्जित होने से खारिज होने योग्य है। स्वयं अपीलार्थी द्वारा एक वादपत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय माण्डलगढ़ के समक्ष दिनांक 16/02/2024 प्रस्तुत कर रखा है जिसमें भी अपीलार्थीगण ने वर्तमान अपील के तथ्यों को ही दोहराया है जिससे भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी की अपील समयावधि वर्जित है। अपीलार्थी ने संपूर्ण अपील में यह कहीं अंकित नहीं किया है कि पटवारी द्वारा कब एवं किस दिनांक को राजस्व नक्शे में गलत इन्द्राज अंकित किया है। इस कारण अपीलार्थीगण की अपील खारिज किए जाने योग्य है। आंवटी प्रत्यर्थी संख्या 01 जगरूप द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से आंवटी शुदा भूमि 578/11 रकबा 02 बीघा राजस्व ग्राम केरपुरा, पटवार हत्का जालिया तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 30/03/2016 से प्रत्यथी संख्या 02 को विक्रय कर दिए है एवं प्रत्यर्थी संख्या 02 द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 26/12/2023 से प्रत्यर्थी संख्या 03 एवं 04 को विक्रय कर दिए है ऐसी स्थिति में सिविल की महत्वपूर्ण प्रश्न विद्यमान है जो कि सिविल न्यायालय द्वारा ही साक्ष्य लेने के पश्चात् ही निर्धारित किए जा सकते है। जिससे माननीय अधिकारी को इस अपील को सुनने की क्षेत्राधिकारिता एवं श्रवणाधिकारिता नहीं रहती है। जिससे कि अपीलार्थीगण की अपील खारिज किए जाने योग्य है।

अतः न्यायालय श्रीमान् से निवेदन है कि जवाब प्रत्यर्थी संख्या 02, 03 व 04 का स्वीकार फरमाया जाकर अपीलार्थीगण की अपील सव्यय खारिज फरमाई जावें।

प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पश्चात् यह पाया गया कि प्रश्नगत कृषि भूमि का पंजीयन होकर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से Further विक्रय हो चुका है। प्रश्नगत कृषि भूमि के संबंध में Further sold रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को निरस्त करने के अधिकार सिविल न्यायालय को होकर उक्त प्रकरण का श्रवणाधिकार सिविल न्यायालय को है। अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 एल आर एक्ट 1956 अपील अस्वीकार की जाती है। प्रश्नगत कृषि भूमि के रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से Further विक्रय हो जाने से श्रवणाधिकार सिविल न्यायालय को होने से यह अपील इस न्यायालय में पोषणीय नहीं है। निर्णय की प्रति तहसीलदार माण्डलगढ को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12.3.26

(रणजीत सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा